भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4327
29 मार्च, 2022 को उत्तर के लिए नियत

पेट्रोल पंप के लिए लाइसेंस का जारी करना

4327. डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन विस्फोटक विभाग पहले डीलर के नाम पर पेट्रोल पंप लाइसेंस जारी करता था;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा इस व्यवस्था को किन कारणों से बंद किया गया; और

(ग) क्या उक्त विभाग, डीलर के नाम पर लाइसेंस जारी करने की नीति की समीक्षा करने पर विचार कर रहा है और यदि हां, तो यह व्यवस्था कब तक फिर से शुरू होगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) और (ख): पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (जिसे पूर्व में विस्फोटक विभाग के रूप में जाना जाता था) उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) का अधीनस्थ कार्यालय है। पेट्रोल पंप (खुदरा बिक्री केंद्र) का लाइसेंस उस व्यक्ति या कंपनी के नाम पर जारी किया जाता है जिसके नाम पर जिला प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया है।

(ग): वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****